



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)  
Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ई-मेल/email : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

25 जून 2026

**भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर**  
(सितंबर 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा, सितंबर 2026 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम हेतु कैलेंडर को निम्नानुसार जारी करता है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (जुलाई-सितंबर 2026)					
(₹ करोड़)					
नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
01 जुलाई 2026	02 जुलाई 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
08 जुलाई 2026	09 जुलाई 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
15 जुलाई 2026	16 जुलाई 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
22 जुलाई 2026	23 जुलाई 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
29 जुलाई 2026	30 जुलाई 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
05 अगस्त 2026	06 अगस्त 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
12 अगस्त 2026	13 अगस्त 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
19 अगस्त 2026	20 अगस्त 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
27 अगस्त 2026	28 अगस्त 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
02 सितंबर 2026	03 सितंबर 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
09 सितंबर 2026	10 सितंबर 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
16 सितंबर 2026	17 सितंबर 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
23 सितंबर 2026	24 सितंबर 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
30 सितंबर 2026	01 अक्टूबर 2026	9,000	8,000	7,000	24,000
<b>कुल</b>		<b>1,26,000</b>	<b>1,12,000</b>	<b>98,000</b>	<b>3,36,000</b>

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, बीच में पड़ने

वाली छुट्टियों के कारणों सहित यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होता है, तो उन्हें प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [26 मार्च 2025 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ.सं.4\(2\)-बी\(डब्ल्यू एंड एम\)/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2026-2027/547

(ब्रिज राज)  
मुख्य महाप्रबंधक